

कार्यालय - मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, जोधपुर महानगर, जोधपुर।

क्रमांक - 11

दिनांक - 21-03-2024

-: संशोधित कार्यालय आदेश :-

मैं, मांडवी राजवी, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, जोधपुर महानगर, एतद्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के पत्र क्रमांक Gen-/XIX/Misc./ 2000/911/718, Dated 01/06/2001 की पालना मैं तथा इस न्यायालय के कार्यालय आदेश क्रमांक 06 दिनांक 26.02.2024 मैं आंशिक संशोधन कर, दिनांक 29-03-2024 को पूर्व अधिकृत पीठासीन अधिकारी की रिमाण्ड इयूटी निरस्त करती हूँ तथा उक्त दिनांक को निम्नलिखित न्यायालय की पीठासीन अधिकारी को आवश्यक कार्य हेतु मुख्यालय पर रहने हेतु अधिकृत करती हूँ, अन्य पीठासीन अधिकारियों के लिए पूर्ववर्ती आदेश प्रभावी रहेगा -

माह मार्च, 2024 हेतु-

क्र.सं.	दिनांक	पीठासीन अधिकारी	न्यायालय	मोबाइल नं.
01.	29-03-2024	शाइस्ता लोधी	अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, सं. 08, जोधपुर महानगर, जोधपुर।	9529155244

रिमाण्ड प्राधिकृत किये जाने के दौरान रिमाण्ड मैं अभिवृद्धि हेतु उपरोक्तानुसार टापिक कार्य रिमाण्ड आदि के लिए प्राधिकृत किए गए महानगर मजिस्ट्रेट से यह अपेक्षा की जाती है कि वे न्यायिक अभिरक्षा की अभिवृद्धि को प्राधिकृत करने की स्थिति में न्यायिक अभिरक्षा वारंट में स्पष्ट रूप से उक्त न्यायालय का नाम अंकित करें, जिस न्यायालय में न्यायिक अभिरक्षा की अभिवृद्धि हेतु मुल्जिम को पेश किया जाना है। जमानत प्रार्थना-पत्र का निस्तारण करते समय जमानत आदेश में यह आवश्यक रूप से अलग से पैराग्राफ बनाकर लिखा जावे कि वह किस न्यायालय से संबंधित है तथा किस पुलिस थाने से संबंधित है।

नोट - (ए) उपरोक्त अधिकारी की रिमाण्ड इयूटी उक्त दिनांक के पूर्व कार्य दिवस को न्यायालय समय पश्चात् से आरंभ होगी एवं आगामी कार्य दिवस को न्यायालय समय पूर्व तक रहेगी तथा आगामी दिवस का अवकाश घोषित होने पर उस दिन व उस दिन से आगामी कार्यदिवस के कार्यालय समय प्रारंभ होने तक आवश्यक फौजदारी कार्य का संपादन उसी अधिकृत अधिकारी के द्वारा किया जावेगा। (बी) अभियुक्तगण को निर्धारित समय पर ही अवकाश न्यायालय के समक्ष पेश किया जावे। निर्धारित समय में अवकाश न्यायालय के समक्ष न्यायालय में पेश न करने एवं नियास पर मुल्जिम को पेश करने पर थानाधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही जावेगी। विशेष परिस्थितियों में मुल्जिम को नियास पर पेश करते समय नियास में प्रवेश न कराकर बाहर रखा जावे व संबंधित अधिकारी के निर्देशानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(सी) उपरोक्त अवधि में रिमाण्ड इयूटी हेतु अधिकृत पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण हो जाता है तो उनके स्थान पर आने वाले अधिकारी द्वारा रिमाण्ड इयूटी की जाएगी अथवा किन्हीं अन्य परिस्थितियों में संबंधित पीठासीन अधिकारी का रिमाण्ड इयूटी करने हेतु उपलब्ध नहीं होने की दशा में उक्त रिमाण्ड इयूटी लिंक मजिस्ट्रेट द्वारा सम्पन्न की जावेगी।


 उच्च महानगर मजिस्ट्रेट,
 जोधपुर महानगर जोधपुर।
 (राजस्थान)
 (राजस्थान)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. श्रीमान् जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, जोधपुर महानगर, जोधपुर।
2. स्थापना शाखा, जिला एवं सत्र न्यायालय, जोधपुर महानगर, जोधपुर।
3. पुलिस उपायुक्त, पूर्व, जोधपुर महानगर को अपने अधीनस्थ समस्त पुलिस थानों को सूचित करने हेतु।
4. पुलिस उपायुक्त, पश्चिम, जोधपुर महानगर को अपने अधीनस्थ समस्त पुलिस थानों को सूचित करने हेतु।
5. अध्यक्ष, राजस्थान उच्च न्यायालय, अभिभाषक संघ, जोधपुर महानगर।
6. सहायक निदेशक, अभियोजन विभाग, जोधपुर महानगर को लेख है कि उक्त राजकीय अवकाश के दिवस को संबंधित न्यायालय में एपीपी की ड्यूटी लगाने की आवश्यक रूप से व्यवस्था करावें।
7. ड्यूटी ऑफिसर, पुलिस कंट्रोल रूम, जोधपुर शहर।
8. ऑफिसर इंचार्ज, अभय कमाण्ड एण्ड कंट्रोल सेंटर, सूचना केन्द्र के पास, जोधपुर को पुलिस वेबसाइट पर अपलोड करने व समस्त थानाधिकारियों को सूचित करने हेतु।
9. नोटिस बोर्ड (ज्यूडिशियल सर्विस सेंटर, जिला न्यायालय, जोधपुर महानगर)।
10. सिस्टम ऑफिसर, जिला एवं सत्र न्यायालय, जोधपुर महानगर को वास्ते ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
11. श्रीमान् प्रभारी अधिकारी, नजारत शाखा, जिला न्यायालय, जोधपुर महानगर, जोधपुर।
12. अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट सं. ०८, जोधपुर महानगर, जोधपुर।
13. कार्यालय प्रति।

Mandir
 मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट,
 जोधपुर महानगर, जोधपुर।
 (रु.)